राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 478/2014/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक नागौर .....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय अम्बुजा नगर तालुका कोडीनार, जिला जुनागढ़ (गुजरात)
2. मैसर्स इण्डोनिप्पोन स्पेशल सीमेन्ट लिमिटेड, जरिये अधिकृत श्री के.एल.जोशी रजिस्टर्ड कार्यालय, 122 मेकर चेम्बर्स, III नरीमन प्वाईंट मुम्बई–400021 .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री मुकेश कुमार वर्मा
अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

दिनांक : 28.06.2017

निर्णय

1. प्रार्थी विभाग द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–अजमेर (जिसे आगे **अधीनस्थ न्यायालय** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 58/2010 आदेश दिनांक 26.04.2010 के विरूद्ध मुद्रांक अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 में पारित किये गये मुद्रांक शुल्क निर्धारण के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी कम्पनी द्वारा मैसर्स इण्डोनिप्पोन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड का अमलगमेशन (समामेलन) मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लि. में किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत अमलगमेशन स्कीम को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय पीठ अहमदाबाद द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 पारित किया गया। जिसमें अप्रार्थी कम्पनी की समस्त चल अचल सम्पत्ति का स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी में निहित हो गया। जिसको पूर्ण मुद्रांकित करवाने बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुद्रांक अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 के अंतर्गत दिनांक 18.02.2010 को प्रस्तुत किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) ने राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 के तहत अपने प्रकरण संख्या 58/2010 आदेश दिनांक 26.04.2010 द्वारा मुद्रांक शुल्क निर्धारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया –

   "प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रेकार्ड के अनुसार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(3) के तहत कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 394 के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 10 प्रतिशत देय है, जिसे अधिसूचना क्रमांक

लगातार.....2.

4/12(20) वित्त/कर/2005–216 दिनांक 24.03.2005 द्वारा घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। इसप्रकार प्रकरण में अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क ट्रांसफरी कम्पनी द्वारा आंवटित शेयर की मालियत या भुगतान किये गये प्रतिफल की राशि पर 4 प्रतिशत की दर ही देय है।''

3. माननीय गुजराज उच्च न्यायालय पीठ अहमदाबाद द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 का मूल्यांकन The total value of the cancelled equity shares of the Transfer Company, i.e. value of cancelled 3.0 lac equity shares @ 10/- each = 30,00,000/- निर्धारित कर उस पर 4 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी राशि रूपये 1,20,000/– तथा शास्ति 1,000/– कुल राशि रूपये 1,21,000/– वसूल किये जाने के आदेश पारित कर मांग सृजित की। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी विभाग ने अधिनियम की धारा 65 के तहत कर बोर्ड में यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. प्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान में अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क ट्रांसफरी कम्पनी द्वारा आंवटित शेयर की मालियत या भुगतान किये गये प्रतिफल की राशि पर 4 प्रतिशत की दर देय है जबकि प्रार्थी द्वारा अमलगमेशन आदेश के एवज में न तो शेयर आवंटित किये गये है और न ही किसी प्रकार का प्रतिफल दिया गया है। जिसकी पुष्टि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश में स्पष्ट अंकित है। इस प्रकार 100/– रूपये का स्टाम्प शुल्क लेकर कलक्टर गांधी नगर द्वारा समुचित मुद्रांक युक्त होने का पृष्ठाकंन किया गया है व विधिसम्मत है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश के तहत अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण शेयर पूंजी के रूप में 100 प्रतिशत शेयर धारक प्रार्थी कम्पनी ही हुआ है, अतः इसे अचल सम्पत्ति के हस्तातंरण का कन्वकन्स नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के कनवेन्स दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क की दर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची 21(3) में अलग से निर्धारित है तथा गुजरात राज्य में प्रचलित बाम्बे स्टाम्प अधिनियम 1958 की अनुसूची के तहत अमलगमेशन आदेश के लिये राजस्थान की भांति अलग से स्टाम्प की दर निर्धारित नहीं है। अधिनियम की धारा 18 व 20 के तहत राजस्थान से बाहर निष्पादित दस्तावेज राजस्थान में प्रस्तुत होने पर केवल राज्य में अधिक दर से स्टाम्प शुल्क देय होने पर ही दस्तावेज पर दी गयी स्टाम्प शुल्क का समायोजन करते हुये जो राशि कम बनती है, वही वसूल योग्य है। उन्होने अपने कथन में यह भी कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको कलेक्टर मुद्रांक द्वारा किस धारा में दर्ज कर प्रकरण की सुनवायी की गयी, का उल्लेख ना कर निर्णय

लगातार.....3.

पारित में विधिक भूल की है। उन्होने यह भी कहा कि कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लीज प्रति वर्ष 2007 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 कम्पनी ने माह मई, 2007 में अपने नाम से स्वीकृत करवायी है जिसमें गवाह संख्या 1 में अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 का है उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 कम्पनी द्वारा अपने नाम से लीज डीड निष्पादित करवायी है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अमलगमेशन आदेश के माध्यम सें खान विभाग में अपने नाम ट्रांसफर हेतु खान विभाग एवं अमलगमेशन आदेश को कलेक्टर मुद्रांक के समक्ष तीन वर्ष बाद दिनांक 18.02.2010 को प्रस्तुत किया, जो भी गम्भीर जांच का विषय है जिस ओर कलेक्टर मुद्रांक द्वारा कोई ध्यानाकर्षण ना कर एवं कोई जांच कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाकर तथ्यों एवं दस्तावेजों को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया है। अन्त में उन्होनें प्रस्तुत तर्को के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुणों पर किया जावे।

6. बहस के दौरान अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत निगरानी प्रकरण में अचल सम्पत्ति की लीजों का कोई अस्तित्व नही है। उप शासन सचिव वित्त (कर) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 21.04.2010 के अनुसार केवल 3 लाख शेयर प्रति शेयर 10/— से कुल राशि रूपये 30,00,000/— पर मुद्रांक कर देय है। उन्होनें कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 21(iii) अनुसार केवल मात्र कम्पनी के शेयर केपीटल (चल सम्पत्ति) पर मुद्रांक शुल्क नियमानुसार 4 प्रतिशत लागू होता है एवं आर्टिकल 21 के स्पष्टीकरण संख्या (ii) से स्पष्ट है कि अन्तरणकर्ता (Transferor) कम्पनी की कुल अंश पूंजी अथवा समामेलन के पश्चात जो अंश पूंजी ट्रांसफरर कम्पनी से ट्रांसफरी कम्पनी में आयी है, उसके एक्सचेंज के फलस्वरूप ट्रांसफरर कम्पनी के द्वारा जितने शेयरों का आवंटन किया है उसकी मालियत के अनुसार और उक्त समामेलन पेटे यदि किसी प्रतिफल की राशि का आदान प्रदान हुआ है तो वह आर्टिकल 21(iii) के अनुसार मार्केट वैल्यू होगी और उक्त स्पष्टीकरण संख्या (ii) के अनुसार ही समामेलन पर उक्त शेयर केपीटल/प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर की देयता निर्धारित की जायेगी। अतः यह सम्पत्ति अथवा लीज हस्तानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय निगरानी संख्या 747/12/जयपुर मैसर्स अक्श आप्टीफाइबर लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.01.2013, निगरानी संख्या 475/2007/बीकानेर मैसर्स जे.के. सेरेमिक्स प्रा.लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 28.09.2007 RRT-2008(1)262, अपील आबकारी 2235/2011/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि. बनाम आबकारी विभाग निर्णय दिनांक

लगातार.....4.

11.01.2013, निगरानी संख्या 130/2014/जयपुर मैसर्स क्लासिक नेचुरल स्टोन्स प्रा. लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 01.01.2016, निगरानी संख्या 2020/2012/जयपुर मैसर्स हाईस्ट्रीट फिलाटैक्स लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.03.2014 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट पिटीशन संख्या 2579/2015 हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17.03.2015 निगरानी संख्या 841/2012/चित्तौडगढ मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि. बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 23.01.2017 उद्धरित करते हुए कलक्टर मुद्रांक के आदेश दिनांक 26.04.2010 को उचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी राजस्व निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

9. अप्रार्थी सं. 2 कम्पनी मैसर्स इण्डोनिप्पोन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड का अमलगमेशन (समामेलन) मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लि. में किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत अमलगमेशन स्कीम को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय पीठ अहमदाबाद द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 पारित किया गया। जिसमें अप्रार्थी सं. 2 मैसर्स इण्डोनिप्पोन स्पेशल सीमेंट लिमिटेड की समस्त चल अचल सम्पत्ति का स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लि. में निहित हो गया। जिसको पूर्ण मुद्रांकित करवाने बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुद्रांक अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 के अंतर्गत दिनांक 18.02.2010 को प्रस्तुत किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में कलक्टर (मुद्रांक) ने राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 18, 20 एवं 35 के तहत अपने प्रकरण संख्या 58/2010 आदेश दिनांक 26.04.2010 द्वारा मुद्रांक शुल्क निर्धारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया –

"प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रेकार्ड के अनुसार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(3) के तहत कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 394 के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 10 प्रतिशत देय है, जिसे अधिसूचना क्रमांक 4/12(20) वित्त/कर/2005–216 दिनांक 24.03.2005 द्वारा घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क ट्रांसफरी कम्पनी द्वारा आंवटित शेयर की मालियत या भुगतान किये गये प्रतिफल की राशि पर 4 प्रतिशत की दर ही देय है।"

28/06/17

लगातार.....5.

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा श्रीमान् उप शासन सचिव वित्त (कर) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(33) एफ.डी./कर/09/जयपुर दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रकरण में मार्ग दर्शन बावत् आदेश जारी किया गया। उसका यहां उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो इस प्रकार है–

This issue of Stamp Duty payable in matter of amalgamation of Indo-Nippoo Special Cement Ltd. (GACL) confirmed by Hon'ble Gujarat High Court under section 394 of Companies Act, 1956 was examined in consultation with Law Department.

It is clarified that amount of consideration of the purpose of transfer of shares will be the total value of the cancelled equity shares of the Transferor Company, i.e. value of cancelled 3.0 lac equity shares @ 10/- each as mentioned in scheme of amalgamation approved by the Hon'ble Gujrat High Court in the judgment dated 09-01-2007 in the company petition on 34/2006.

For the purpose of transfer of immovable property i.e. mentioned in Schedule 1 of this amalgamation order stamp duty will be charged separately as and when relevant document is presented to the concerned authorities for transfer of the lease deed in view of Revenue Department's permission No. F.2(606) Rev. -3/2006 dated 16 March, 2010 as per law.

10. हस्तगत निगरानी प्रकरण में अचल सम्पत्ति की लीजों का कोई अस्तित्व नही है। उप शासन सचिव वित्त (कर) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 21.04.2010 के अनुसार केवल 3 लाख शेयर प्रति शेयर 10/– से कुल राशि रूपये 30,00,000/– पर मुद्रांक कर देय है।

11. राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 21(iii) अनुसार केवल मात्र कम्पनी के शेयर ट्रांसफर (चल सम्पत्ति) पर मुद्रांक शुल्क अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 द्वारा नियमानुसार 4 प्रतिशत देय होता है एवं आर्टिकल 21 के स्पष्टीकरण संख्या (ii) से स्पष्ट है कि अन्तरणकर्ता (Transferor) कम्पनी की कुल अंश पूंजी अथवा समामेलन के पश्चात जो अंश पूंजी ट्रांसफरर कम्पनी से ट्रांसफरी कम्पनी में आयी है, उसके एक्सचेंज के फलस्वरूप ट्रांसफरर कम्पनी के द्वारा जितने शेयरों का आवंटन किया है उसकी मालियत के अनुसार और उक्त समामेलन पेटे यदि किसी प्रतिफल की राशि का आदान प्रदान हुआ है तो वह आर्टिकल 21(iii) के अनुसार मार्केट वैल्यू होगी और उक्त स्पष्टीकरण संख्या (ii) के अनुसार ही समामेलन पर उक्त शेयर केपीटल/प्रतिफल की राशि पर मुद्रांक कर की देयता निर्धारित की जायेगी।

12. प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(iii) के तहत कम्पनी अधिनियम 1965 की धारा 394 के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 4 प्रतिशत देय है। इस प्रकार प्रकरण में अमलगमेशन आदेश पर स्टाम्प शुल्क ट्रांसफरी कम्पनी द्वारा आंवटित शेयर की मालियत या भुगतान किये गये प्रतिफल की राशि पर 4 प्रतिशत की दर देय है।

लगातार.....6.

13. वर्ष 2007 की स्थिति में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 21(iii) का विवरण निम्नानुसार है :–

21. **Conveyance** as defined by section 2(xi)-

(i).....
(ii).....

(iii) **If relating to amalgamation of compaines by the order of the High Court under Section 394 of the Companies Act 1956 (Act No. 1 of 1956)** **Explanation : <u>(ii) For the purpose of clause (iii), the market value of the property shall be deemed to be the amount of total value of shares issued or allotted by trnasferee Company, either in exchange or otherwise, and the amount of consideration, if any, paid for such amalgamation.</u>**	Ten percent of the market value of the property. (राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(20)एफडी/टैक्स/2005 – 216 दिनांक 24.03.2005 के अनुसार कम्पनी के अमलगमेशन पर 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है) (10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई)

राजस्थान विधानसभा में पारित वित्त विधेयक 2014 के अनुसार दिनांक 14.07.2014 से अनुच्छेद 21(iii) की स्थिति निम्नानुसार है :–

21. **Conveyance** as defined by section 2 (xi),-

(i).....
(ii).....

(iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation,demerger or reconstruction of a company. **(vi).....**	Two percent on that part of the net worth of the transferor company which is equal to the proportion the value of the immovable property of the transferor company situated in the State of Rajasthan bears to the value of the whole of immovable property of the transferor company, in addition to the stamp duty paid on the instrument elsewhere, if any.

Inserted by Rajsthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014) (w.e.f. 14-07-2014)

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क दिनांक 14.07.2014 से लागू की गई है, ना कि भूतलक्षी प्रभाव से।

14. न्यायिक दृष्टांत Bomby High Court (DB) Li Taka Pharmaceuticals Ltd. and another Versus The State of Maharashtra and others Dated: 20-02-1996 तथा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निगरानी संख्या 841/2012/ चित्तौडगढ मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा.लि. बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 23.01.2017 हस्तगत प्रकरण के तथ्य से पूर्णतः आच्छादित है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों, मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 21(iii) का अध्ययन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि माननीय गुजरात उच्च

लगातार.....7.

न्यायालय द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत पारित अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 के अनुसार अप्रार्थी सं. 2 Indo-Nippoo Special Cement Ltd. (GACL) confirmed का अप्रार्थी सं. 1 मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय अम्बुजा नगर तालुका कोडीनार, जिला जुनागढ़ (गुजरात) में समायोजन का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी कम्पनी की समस्त चल अचल सम्पत्ति का स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी में निहित हो गया। न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 21(iii) अनुसार केवल मात्र कम्पनी के शेयर केपीटल (चल सम्पत्ति) पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 के अनुसार मुद्रांक शुल्क 4 प्रतिशत देय है एवं तत्समय मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 21(iii) एवं स्पष्टीकरण (ii) के अनुसार पारित अमलगमेशन आदेश दिनांक 09.01.2007 का मूल्यांकन The total value of the cancelled equity shares of the Transfer Company, i.e. value of cancelled 3.0 lac equity shares @ 10/- each = 30,00,000/- अक्षरे रूपये 30,00,000/– निर्धारित कर मूल्यांकित राशि पर ही नियमानुसार 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की देयता का दायित्व बनता है।

15. अप्रार्थी संख्या 1 कम्पनी द्वारा अमलगमेशन आदेश के पेटे/ऐवज में न तो शेयर आवंटित किये गये और न ही किसी प्रकार का प्रतिफल अदा किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 26.04.2010 में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के आर्टिकल 21(iii) अनुसार मात्र कम्पनी के शेयर केपीटल (चल सम्पत्ति) पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.03.2005 के अनुसार मुद्रांक शुल्क 4 प्रतिशत की देय होना निर्णित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 26.04.2010 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.4.2010 पुष्ट किये जाने योग्य होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

16. परिणामस्वरूप प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–अजमेर के आदेश दिनांक 26.04.2010 की पुष्टि की जाती है।

17. निर्णय सुनाया गया।

28/06/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य